न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 105/2014/223 आर टी ए

1. इमामबक्श पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुबा सादक पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. मसूल अहमद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. आसफ उर्फ आशिक मोहम्मद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. फजलदीन पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मोहम्मद रमजान पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मोहम्मर सराज पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. मोहम्मद जब्बार पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. अब्दुल सलाम पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. हनीफां पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. मुनीर खां पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. श्रीमति मंजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. श्रीमति हजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. नूर हसन पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. निक्का पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. मनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भूनांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16. भागवंती पत्नि पीरचंद जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. श्रीमति विम्मी सुथार पत्नि पवन कुमार सुथार जाति सुथार निवासी नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हनुमानगढ़ जरिये व्यवस्थापक।
19. श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन।
20. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 196/08 अनवानी विम्मी बनाम गुलाम मोहम्मद आदि उपस्थित :–

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांटस
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2
श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 15
श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16,
श्री राजेन्द्र मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17
श्री रमेश कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 20

निर्णय दिनांकः–19.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 सं. 17 विम्मी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का पेश किया कि चक 12 एमडी के खाता सं. 13/50 की 21.498 है0 आराजी मे से वादिया ने अदरीश, सरीफ मोहम्मद पि0 इलमदीन का हिस्सा 4.300 है0 जरिये बैयनामा दिनांक 10.06.08 खरीद लिया है तथा रिकार्ड मे वादिया का नाम दर्ज है। वादिया ने जब उक्त हिस्सा क्रय किया था तो वादिया को खाता मे प.न. 155/319 कि.न. 2 ता 9, 12 ता 18, 23/0.190, 24/0.190, 25/0.190 कुल 4.365 है0 मे से 0.065 है0 रास्ता छोड़कर शेष हिस्सा 4.300 है0 का कब्जा दिया गया। इस बाबत प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने वादिया को एक सहमति पत्र जिसमे प.न. किला नं. का कब्जा सौपते हुए वादिया का अधिकार उक्त किला नम्बर मे स्वीकार किया गया जिसका कब्जा भी वादिया का दिया जाना स्वीकार किया तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने इस भूमि के संबंध मे यह माना है कि वह भूमि उनको पारिवारिक विभाजन द्वारा काफी समय पूर्व मिली हुई है तथा विभाजन बाबत उनका कोई मुकदमा परस्पर किसी न्यायालय मे नही चल रहा है। जिसमे प्रतिवादी सं. द्वारा जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया एवं कांउटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिया द्वारा वर्ष 2008 मे वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे खुशी मोहम्मद को बतौर प्रतिवादी सं. 8 पक्षकार संयोजित किया गया जिसकी मृत्यु वाद वर्ष से पूर्व यानि दिनांक 12.03.2006 को हो चुकी थी। इस प्रकार वादिया ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जो कि अकृतता है। इसके अतिरिक्त वाद की लम्बित अवस्था मे प्रतिवादी सं. 2 साहबदीन जो अपीलांट के पिता थे, का देहान्त दिनांक 23.10.10 को हुआ परन्तु वादिया ने उनके विधिक उत्तराधिकारीगण अपीलांटस को समय सीमा मे पक्षकार संयोजित नही किया। ऐसी अवस्था मे प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध वादिया का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा ही उपशमित हो चुका था। अपीलांट के पिता साहबदीन को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो सम्मन व नोटिस भिजवाया गया उसकी सम्यक तौर पर तामील नही हुई व न ही कोई सम्मन अथवा नोटिस अपीलांट के पिता को प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सं. 1 ने जानबूझकर अपीलांट के हक व हिस्सा की भूमि को मारने की गर्ज से विधि विरूद्ध तरीका से करवाई गई तामील के आधार पर अपना प्रतिदावा डिक्री करवा लिया ताकि अपीलांट व उनके पिता को वाद के द्वारा अभियाचित अनुतोष की जानकारी न हो सके और उसके विरूद्ध कपटपूर्वक डिक्री प्राप्त की जा सके। इस प्रकार वादिया विम्मी व प्रतिवादी सं 1 गुलाम मोहम्मद के द्वारा प्रस्तुत क्रमशः वादपत्र व प्रतिदावा की प्रतिरक्षा का कोई अवसर अपीलांट के पिता को प्राप्त नही हो सका है। गुलाम मोहम्मद प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साहबदीन व खुशी मोहम्मद के विरूद्ध डिक्री कर विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। प्रतिवादी गुलाम मोहम्मद के प्रतिदावा का आधार अपने कब्जा काश्त मे कथित तौर पर अपने 1/5 हिस्सा की 4.300 है0 भूमि के अलावा 4.10 बीघा भूमि पर वर्ष 1947 के बाद से कब्जा काश्त मे चला आना रहा है व इस संबंध मे गुलाम मोहम्मद ने अपने हिस्सा से अधिक भूमि 4.10 बीघा भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने का विधिक आधार लिया है। इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक पुष्टि से कोई विचार नही किया जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा प्रतिकूल धारणाधिकार के आधार पर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा किये जाने के लिए प्रतिबंधिक किया गया है व इस संबंध मे स्पष्ट तौर पर न्यायिक दृष्टांत पारित किये है। प्रतिवादी गुलाम मोहम्मद के द्वारा सम्पूर्ण खाता की भूमि का विभाजन होने व विवादित 4.10 बीघा भूमि पर अपना कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है जिसके आधार पर उसका कब्जा साबित हो सके जबकि अपीलांट अपने हक व हिस्सा की भूमि को काश्त कर रहे है। प्रतिवादी सं. 1 के प्रतिदावा का वादिया/रेस्पो0 सं. 17 ने जवाब देकर विरोध किया व सहकाश्तकार की कृषि भूमि के मामले मे प्रतिकूल कब्जा के अधिकार

सृजित नही होने संबंधी विधिक आपत्ति भी उठाई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध मे विवाधको की संरचना नही की व न ही विवाधको के आधार पर अथवा विवाद बिन्दूओ को आधारिज कर वाद का निर्णय किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 17/वादिया द्वारा संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि के संबंध मे खाता तकसीम बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद द्वारा जवाबदवा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे वादपत्र वादिया डिक्री करते हुए कांउटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को उसके नाम पूर्व से दर्ज आराजी 4.300 है0 के साथ साथ 4.10 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जो सही है। क्योंकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद एवं इनके समस्त भाईयों के नाम वादग्रस्त भूमि चक 12 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के अलावा बाडा कॉलोनी तहसील अनूपगढ़ एवं तहसील हनुमानगढ़ के चक 6 एलएलडब्ल्यू, चक 2 आरआरडब्ल्यू एवं चक 1 एनडब्ल्यूएन मे भी भूमि स्थित है। इस प्रकार कुल तीनो चको मे भूमि है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अर्सा पूर्व पारिवारिक बंटवारा हुआ है जिसके अनुसार रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद को सन् 1947 मे वादग्रस्त भूमि पारिवारिक बंटवारा के तहत प्राप्त हुई है। जिसके समर्थन मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी गुलाम मोहम्मद स्वयं, सादक अली, मोहम्मद रमजान एवं अदरीश मोहम्मद आदि प्रस्तुत किये जिसके अनुसार अन्य सहकाश्तकारान द्वारा चक 12 एमडी की कुल 22.10 बीघा भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद का कब्जा काश्त होना ब्यान किया गया है तथा उक्त भूमि पर पारिवारिक समझौता के आधार पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न साक्ष्यो से पारिवारिक समझौता होना तथा इसी समझौता के आधार पर गुलाम मोहम्मद का कब्जा होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउंटर क्लेम मे अपीलांट के अलावा अन्य प्रतिवादी सं. 8 खुशीमोहम्मद की भी 2.05 बीघा भूमि कम की गई की जाकर गुलाम मोहम्मद को दी गई है परन्तु प्रतिवादी सं. 8 खुशीमोहम्मद द्वारा कोई आपत्ति एतराज नही किया गया मात्र अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की आपत्ति की गई है। वादग्रस्त भूमि पूर्व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद एवं उनकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 सं. 1 व 2 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि

मे कोई हक व हिस्सा नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17 ने अपनी बहस मे कथन किया गया कि वादिया/रेस्पो0 सं. 17 विम्मी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का पेश किया कि चक 12 एमडी के खाता सं. 13/50 की 21.498 है0 आराजी मे से वादिया ने अदरीश, सरीफ मोहम्मद पि0 इलमदीन का हिस्सा 4.300 है0 जरिये बैयनामा दिनांक 10.06.08 खरीद लिया है तथा रिकार्ड मे वादिया का नाम दर्ज है। वादिया ने जब उक्त हिस्सा क्रय किया था तो वादिया को खाता मे प.न. 155/319 कि.न. 2 ता 9, 12 ता 18, 23/ 0.190, 24/0.190, 25/0.190 कुल 4.365 है0 मे से 0.065 है0 रास्ता छोड़कर शेष हिस्सा 4.300 है0 का कब्जा दिया गया। इस बाबत प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने वादिया को एक सहमति पत्र जिसमे प.न. किला नं. का कब्जा सौपते हुए वादिया का अधिकार उक्त किला नम्बर मे स्वीकार किया गया जिसका कब्जा भी वादिया का दिया जाना स्वीकार किया तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने इस भूमि के संबंध मे यह माना है कि वह भूमि उनको पारिवारिक विभाजन द्वारा काफी समय पूर्व मिली हुई है तथा विभाजन बाबत उनका कोई मुकदमा परस्पर किसी न्यायालय मे नही चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 18 बैंक ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 18 बैंक मे रहन है। इसलिए बैंक की हितो की सुरक्षित रखते हुए प्रकरण मे विधि अनुसार निस्तारण फरमाया जावें।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 20 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

8. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये प्रतिवादी सं. 1 गुलाम मोहम्मद जो कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता है, को काउंटर क्लेम मे उनके नाम दर्ज हिस्से के अतिरिक्त 4.10 बीधा भूमि दी गई के संबंध मे विवाद है। यह सही है कि एक सहकाश्तकार अपने सहकाश्तकार की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा नही करवा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 गुलाम मोहम्मद द्वारा जवाबदावा मय कांउटर क्लेम

प्रस्तुत होने पर गुलाम मोहम्मद द्वारा अपने कांउटर क्लेम के संबंध मे बतौर साक्ष्य शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी गुलाम मोहम्मद स्वयं, सादक अली, मोहम्मद रमजान एवं अदरीश मोहम्मद आदि प्रस्तुत किये जिसके अनुसार अन्य सहकाश्तकारान द्वारा चक 12 एमडी की कुल 22.10 बीघा भूमि पर रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता गुलाम मोहम्मद का कब्जा काश्त होना ब्यान किया गया है तथा उक्त भूमि पर पारिवारिक समझौता के आधार पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न साक्ष्यो से पारिवारिक समझौता होना तथा इसी समझौता के आधार पर गुलाम मोहम्मद का कब्जा होना साबित है।

9. यह तथ्य सही है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पिता श्री गुलाम मोहम्मद को उसके हिस्से से अधिक भूमि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत काउंटर क्लेम के आधार पर दी गई है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार सभी सहखातेदार लगभग 60–65 वर्षो से घरूबंटवारे के अनुसार अपनी अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। घरूबंटवारे के संबंध मे लिखित दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण एवं इसी आधार पर पारिवारिक विभाजन के अनुसार कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे सहखातेदारो के मध्य जोत के विभाजन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकरण मे पूर्व के घरूबंटवारे को समाप्त करते हुए नये सिरे से हिस्से के अनुसार रकबा दिया जाकर विभाजन किया जाना उचित नही होगा। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र विम्मी बनाम गुलाम मोहम्मद आदि बाबत विभाजन सहमति पत्र के आधार पर तथा कांउटर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 गुलाम मोहम्मद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

10. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 105/2014/223 आर टी ए

1. इमामबक्श पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुबा सादक पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. साहबदीन जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. मसूल अहमद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. आसफ उर्फ आशिक मोहम्मद पुत्र स्व. गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. फजलदीन पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मोहम्मद रमजान पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मोहम्मर सराज पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. मोहम्मद जब्बार पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. अब्दुल सलाम पुत्र स्व. मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. हनीफां पत्नि स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. मंजूर मोहम्मद पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. मुनीर खां पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. श्रीमति मंजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. श्रीमति हजूरां पुत्री स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. नूर हसन पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. निक्का पुत्र स्व. उमरसदीक पुत्र स्व. खुशी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. मनीराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भूनांवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16. भागवंती पत्नि पीरचंद जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. श्रीमति विम्मी सुथार पत्नि पवन कुमार सुथार जाति सुथार निवासी नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हनुमानगढ़ जरिये व्यवस्थापक।
19. श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ टाउन।
20. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

——— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 196/08 अनवानी विम्मी बनाम गुलाम मोहम्मद आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांटस, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 2, श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 15, श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 16, श्री राजेन्द्र मोट्यार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17, श्री रमेश कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 20 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.12.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़